रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2007/23 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 अगस्त, 2007

संख्या एच.एफ.डब्ल्यू. बी(ए)2—2/2001— I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 31 द्वारा प्रदत शक्तियों और इस निमित उन्हें सशक्त बनाने के लिए समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन नियमों को जन साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित कोई हितबद्व व्यक्ति इन नियमों के सम्बन्ध में यदि कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता हो तो वह उसे उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा ।

उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को आन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात :—

प्रारूप नियम

भाग–1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2007 है।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं 1–2.– इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्व न हो।

क. ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत है।

ख. ''परिषद'' से अधिनियम की धारा–3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है।

ग. ''कार्यकारी समिति से अधिनियम की धारा–11 के अधीन गठित परिषद की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है।

घ. ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

ड. ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

च. ''विहित फिस'' से राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (फीस) नियम, 2007 या अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धो के अधीन विहित फीस अभिप्रेत है।

छ. ''अध्यक्ष'' से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

ज. ''रजिस्टर'' से अधिनियम की धारा 15 के अधीन तैयार किया गया और बनाए रखा गया चिकित्सा व्यवसायों को रजिस्टर अभिप्रेत है।

झ. ''रजिस्ट्रार'' से अधिनियम की धारा 14 के अधीन समय–समय पर परिषद द्वारा किया जाने बाल परिषद का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

ञ. ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

ट. ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेष सरकार अभिप्रेत है।

ठ. ''उपाध्यक्ष'' से परिषद का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है। किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

भाग–2 रजिस्ट्रीकरण

3. व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण.– (1) कोई व्यक्ति जो भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 को 102) की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में कोई भी अर्हता रखता हो उस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिकथित किन्हीं शर्तों के अध्यधीन, और इसमें संसक्त सेवा में हो, या हिमाचल प्रदेश राज्य में चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में व्यवसाय करने की बाधा रखता हो, प्रारूप

'क' में अर्जित शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्रों की प्रतियो, चार पासपोर्ट आकार में फोटो और विहित फीस सहित, रजिस्ट्रार को आवेदन करते हुए, परिषद के वास्तविक (अधतन) रजिस्ट्रर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय, प्ररूप 'ख' में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित घोषणा, इस प्रमाण पत्र सहित कि उसने उसे पढ़ लिया है और वह उससे सहमत है, प्रस्तुत करेगा।

(3) रजिस्ट्रार आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात, आवेदक से, ऐसी अन्य सूचना दस्तावेजों जैसा वह आवेदक के दावे को तैयार करने के लिए आवश्यक समझे, की पूर्ति करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार का, आवेदक से उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, या उपनियम (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति पर ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के प्श्चात, समाधान हो जाता है कि आवेदक, रजिस्ट्रर में अपने नाम की प्रविष्टि करवाने का हकदार है तो वह रजिस्ट्रर में उसके नाम की प्रविष्टि करेगा और यदि उसका ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(5) व्यक्ति जिसके नाम की प्रविष्टि उप–नियम (4) के अधीन रजिस्टर में की गई है को विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार द्वारा, प्रारूप 'ग' में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार हुआ है, को आवेदन पर आदेश पारित किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विनिश्चय सूचित किया जाएगा।

(6) धारा 15 में अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक तीन वर्ष के पष्चात, विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करते हुए अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा। रजिस्ट्रार मूल प्रमाण पत्र पर नवीकरण पृष्ठांकित करेगा।

4. **अन्तिम रजिस्ट्रीकरणः**–नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसने भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अर्हता परीक्षा उतीर्ण की है। इनटर्नशीप प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतू अनंतिम अस्थाई तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने का कारण दिए जाने हकदार होगा और अनंति रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित फीस के साथ प्ररूप 'घ' में रजिस्ट्रार को आवेदन किए जाने पर, रजिस्ट्रार, प्ररूप ''ङ'' में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5. **रजिस्ट्रार तैयार करनाः**–(1) धारा 15 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए चिकित्सा व्यवसायियों को रजिस्टर प्ररूप – 'च' में होगा।

(2) रजिस्ट्रारः– रजिस्टर तैयार होने के पश्चात राजपत्र में तथा ऐसे समाचार पत्रों में जिनका परिषद चयन करे रजिस्टर तैयार करने के बारे में नोटिस प्रकाशित करवाएगा। और रजिस्टर राजपत्र में ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से रजिस्टर प्रवृत होगा।

(3) रजिस्ट्रार प्रतिवर्ष, कार्यकारी समिति द्वारा निश्चित की जाने वाली तारीख को, या उससे पूर्व या यदि परिषद द्वारा कार्यकारी समिति का गठन नहीं किया गया है तो प्रकाशित की जाने वाली सूची की युक्तिका (अडडेंम) और शुद्विपत्र प्रकाशित करेगा। तथा रजिस्टर में नाम के प्रकाशन के पश्चात केवल उसका आन्तिम संस्करण ही रजिस्ट्रीकरण का वैद्य साक्ष्य होगा।

6. **रजिस्ट्रार को नाम परिवर्तन की सूचना का दिया जानाः**–कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो वह इसके बारे में तुरन्त रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और रजिस्ट्रार का समाधान करेगा, कि उसने नाम परिवर्तन के तथ्य को, उस क्षेत्र जिसमें वह अपना कारोबार चला रहा है में व्यापक

प्रचलित वाले अग्रणी समाचार पत्र में पहले से ही अधिसूचित करवा दिया है। रजिस्ट्रार, इस प्रकार समाधान होने पर और विहित फीस की प्राप्ति पर, तद्नुसार परिवर्तित नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।

7. **पते का परिवर्तनः**–प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त रजिस्ट्रार को भेजेगा ताकि उसका सही पता रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तः स्थापित किया जा सके, अन्यथा ऐसे व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

8. **अतिरिक्त अर्हताओं के विषय में रजिस्टर में प्रविष्टियां** :–(1) परिषद से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, उनके द्वारा अर्जित अतिरिक्त अर्हताओं को, विहित फीस के संदाय पर, परिषद के रजिस्टर के प्ररूप – 'छ' में दर्ज करने के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

(2) आवेदक, उप–नियम (1) के अधीन अपने आवेदन के साथ, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, यथास्थिति सुसंगत डिग्री, डिप्लोमा, जिसके आधार पर रजिस्टर में प्रविष्टि चाहता है, को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार आवेदक से उसके दावे की तुष्टि करने के लिए, यथा स्थिति, मूल डिग्री या डिप्लोमा पेश करने की अपेक्षा करे सकेगा।

(3) अतिरिक्त अर्हता (ओं) के लिए आवेदन और उप–नियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई और सूचना की जांच के पश्चात, आवेदक द्वारा प्ररूप 'ग' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तथा प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि, अतिरिक्त अर्हताओं को सम्मिलित करने की तारीख के साथ मूल प्रमाण पत्र वाली ही होगी।

(4) यदि रजिस्ट्रार का, उप–विभाग (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर या उप–नियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दी गई और सूचना की प्राप्ति पर और जैसी वह उचित समझे ऐसी और जांच करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि आवेदक रजिस्टर में दर्ज यथास्थिति डिग्री या डिप्लोमा का हकदार नहीं है, तो वह आवेदन को नामंजूर (अस्वीकार करेगा):

9. **रजिस्ट्रीकरण की नवीकरणः**–(1) परिषद द्वारा प्ररूप 'ज' में आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू विहित फीस की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकृत किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उप–नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उचित पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण नवीकृत करेगा।

(3) रजिस्ट्रार, धारा 15 की उप–धारा (6) के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तारीख के पश्चात, ऐसी तारीख जिसे कार्यकारी समिति सरकार की पूर्व मंजूरी से विनिश्चित करें, और तत्पश्चात प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से नोटिस, के प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर अपने–अपने नामों को रजिस्टर में सत्त बनाए रखने हेतू रजिस्टार को आवदेन करने की अपेक्षा प्ररूप वाला नोटिस 'झ' में प्रकाशित करवाएगा।

10. **धारा 15(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिसः**–(1) रजिस्ट्रार, अधिनियम के प्रारम्भ से पॉच वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में और दो ऐसे समाचार पत्रों में जिसका चयन किया जाएगा। प्ररूप 'ञ' में साधारण नोटिस प्रकाशित करवाएगा, जिसके द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जिसका नाम प्रथम प्रथम मई, 1961 से पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्टर में दर्ज था तथा अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक जिसका नाम ऐसे रजिस्ट्रीकरण में निरंतर बना रहा हो अपेक्षा करेगा कि यदि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गए। रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने का इच्छुक है तो उसे रजिस्ट्रार को विहित शुल्क संदत करने को कहा जाएगा। तथा ऐसे ही प्रयोजन के लिए वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 'ट' में उसके आन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भेजेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि करवाने के लिए आवेदन करता है और साधारण नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति से पहले, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए विहित फीस का संदाय कर देता है, तो उसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

(3) उस व्यक्ति, जिस का नाम उप–नियम (2) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया गया है, को प्ररूप 'ग' में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

11. **रजिस्टर से हटाया जानाः–** जब भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में सूचना पहुंचती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा परिभाषित संज्ञेय अपराध के व्यवसायी दोष सिद्व हुआ है, जिसके परिषद् की राय में नैतिक चरित्र में ऐसी त्रुटि प्रकट होती है जो उसे उसके व्यवसाय में अनुपयुक्त बनाने के लिए पर्याप्त है या सम्यक् जांच के पश्चात आचरण का दोषी पाती है, जो परिषद की राय में किसी भी व्यवसायिक संदर्भ में निंदनीय है तो रजिस्ट्रार ऐसी सूचना का सारांश तैयार करेगा और उसे परिषद के सम्मुख ऐसी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा जैसी परिषद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करना चाहे। परन्तु परिषद धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेष पारित करने से पूर्व सम्बन्धित व्यवसायी को यदि वह ऐसी बाधा रखता हो, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

12. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण.–**रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी रजिस्टर द्वारा जिसका नाम, रजिस्टर से हटा दिया गया है, ऐसे हटाए जाने की सूचना की प्राप्ति पर, तत्काल अपना रजिस्ट्रीकरणप प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करेगा।

13. **रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तनः–**कार्यकारी समिति, और कार्यकारी समिति की अनुपस्थिति में परिषद, व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के प्रत्यावर्तन के मामले पर विचार कर सकेगा, जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्ट्रार को विहित फीस के संदाय पर व्यवसायी का नाम रजिस्टर में पुनः दर्ज करने के लिए निदेष दे सकेगा।

14. **प्रवास/स्थानांतरण.–**(1) आवेदक, व्यतिकारी रजिस्ट्रीकरण के लिए, अन्य परिषद के अपने विद्यमान विद्यिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के साथ, परिषद के रजिस्ट्रार को विहित फीस के साथ प्ररूप 'ठ' में आवेदन करेगा।

(2) परिषद, मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भेजने वाली संबद्व परिषद से अनापति प्रमाणपत्र मंगवाएगी।

(3) संबद्व परिषद से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करेगी और संगद्व परिषद भी उनकी पूर्ति करेगी।

(क) अर्हता प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर मूल रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया गया था।

(ख) जन्म तिथि, घर का पता, वृत्रिक पता इत्यादि, जैसा रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल आवदे न म ें दिया है।

(4) दूसरी अन्य परिषद में अपने रजिस्ट्रीकरण के स्थानान्तरण के लिए निवेदन करने वाली परिषद के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हिमाचल प्रदेश में अपने निवास का साक्ष्य व चिकित्सा व्यवसाय चलाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(5) किसी अन्य चिकित्सा परिषद में प्रवास हेतू निवेदन पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और परिषद द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात, रजिस्ट्रार द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

15. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करनाः—यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गुम, नष्ट या विकृत हो जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी उस अवधि के दौरान किसी भी समय रजिस्ट्रार को जब प्रमाण पत्र प्रवर्तन में हो द्विप्रतीक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार समाधान हो जाने पर, विहित फीस की प्राप्ति पर, क्षतिपूर्ति बंध पत्र देने पर तथा कार्यकारी समिति के सम्यक् पुष्टिकरण और अनुमोदन के पश्चात, द्विप्रतीक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाणपत्र के शीर्ष पर द्विप्रतीक प्रमाण पत्र अंतर्लिखित किया जाएगा।

16. प्रमाणित प्रति की पूर्ति हेतू फीस :—(1) परिषद या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति, या रजिस्ट्रार में किसी प्रविष्ट की प्रति की पूर्ति, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (फीस) नियम, 2007 में यथा विर्निदिष्ट विहित फीस की प्राप्ति पर, की जाएगी।

(2) अत्यावश्यक आवेदन की दशा में, मांगी गई प्रति जिस दिन आवेदन किया गया है से आगामी दिन को कार्यालय समय समाप्त होने से पूर्व आवेदक को देने हेतू तैयार की जाएगी।

17. रजिस्टर के पृष्ठों का सत्यापन.—रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को, रजिस्ट्रार द्वारा, संख्याकित और सत्यापित किया जाएगा और वह रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।

प्ररूप — क

(नियम 3 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद

रसीद संख्या तारीख...

बैंक ड्राफ्ट संख्या................तारीख..............................

फोटो

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नामः............................ मध्य नाम............................

उपनामः................................विवाहित नाम यदि कोई है (बड़े अक्षरों में) ....

प्रथम नाम............................ मध्य नाम.............................

उपनाम...............................

विवाहपूर्वनाम (विवाहिता महिला की दशा में)

प्रथम नाम....................... मध्य नाम....................... उपनाम.....................

2. पिता का नाम..................................

3. लिंगः पुरूष / स्त्री.................................

4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थाई पताः

5. (क) दूरभाष संख्या ख) मोबाइल संख्या

(ग) ई0 मेल पताः

6. तारीख और जन्म स्थानः

7. राष्ट्रीयताः क्या जन्म से / निवास स्थान से भारतीय है, यदि निवास स्थान से है, तो भारतीय नागरिक बनने की तारीख दर्शाएं।

8. इनटर्नशिप के ब्यौरे।

9. अर्हता के ब्यौरे।

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय / चिकित्सा संस्थान का नाम	विश्वविद्यालय / अनुज्ञप्ति निकाय का नाम	औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की दशा में इनटर्नशिप पूर्ण करने का वर्ष किसी अन्य मामले में परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष

10. किसी अन्य परिषद के साथ अन्तिम रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे।

11. पते सहित वर्तमान व्यवसायः

मैं इसके साथ, सत्यापन के लिए, मूल प्रमाणपत्रों और निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करता हूं।

(क) हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो जिनके प्रष्न भाग पीछे की तरफ और हस्ताक्षर के साथ हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो।

ख) औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक अर्हता सहित राज्य चिकित्सा परिषद / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

(ग) औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की डिग्री स्नातकोत्रर / डिप्लोमा पश्च चिकित्सकीय (पोस्ट डॉक्टोरल) डिग्री

(घ) जन्म प्रमाण पत्र / मैट्रिक (दसवीं) का प्रमाणपत्र / वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (एस. एससी.) प्रमाण पत्र परीक्षा / जन्म की तारीख सहित स्कूल (पाठशाला) छोड़ने का प्रमाण पत्र।

(ङ) पहचान प्रमाण पत्र।

(च) मेरे द्वारा अभिप्राप्त अर्हता के समर्थन में अन्य साक्ष्य जो मूल रूप में मेरे पास है। नये रजिस्ट्रीकरण के मामले में

–पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर के साथ हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो इनटरशिप मूल प्रमाण पत्र। जिसको हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सहित वापिस किया जाएगा।

–मूल अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

–जन्म का प्रमाण पत्र।

–जन्म का प्रमाण पत्र/मैट्रिक (दसवीं) का प्रमाण पत्र/वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र का परीक्षा प्रमाणपत्र/ जन्म की तारीख सहित स्कूल (पाठशाला) छोड़ने को प्रमाण पत्र।

–पहचान प्रमाण पत्र

मैं एतद् द्वारा .... बैंक को, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के पक्ष में, शिमला में संदेय प्रतिदेय फीस के रूप में 1000/– रू. का (केवल एक हजार रूपये) .... बैंक ड्राफ्ट संख्या.. तारीख प्रस्तुत करता हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर।

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र श्री...................................निवासी..............................गांव .... गांव/मोहल्ला ....तहसील..................................... डाक खाना .... थाना... जिला.. में व्यवसाय करने के आशय से सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूंः–

(क) यह है कि मैं किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्र न्यायनिर्णित नहीं हुआ है।

(ख) यह है कि मैं नैतिक अद्यमता से अर्न्तगत किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कारावास से दोषसिद्व और दण्डादिष्ट नहीं हुआ हूं।

(ग) यह कि मैं अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हूं।

(घ) यह है कि परिषद द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर से वृतिक अवचार के लिए मेरा नाम हटाया नहीं गया है।

(ङ) यह है कि मैंने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का 16) और तद्धीन बनाए गए नियमों, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की आचार संहिता को भी पढ़ लिया है और आचार संहिता के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूं।

अभिसाक्षी

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण हेतू किए गए आवेदन के उक्त पैरा (क) से (ङ) में विषय वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं शपथ पर और घोषणा करता हूं कि कुछ भी सुसंगत छुपाया नहीं गया है, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की आधार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के नियमों को पालन करने का वचन देता हूं।

शिमला में .... तारीख को सत्यापित किया गया।

तारीखः— आवेदक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणितः

अनुप्रमाणन प्रधिकारी के हस्ताक्षर...

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) ....

पदनाम...

स्थान............................... तारीख ....2007.

टिप्पणः— आवेदन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतू)

रजिस्ट्रीकरण आवेदन .... को प्राप्त हुआ।

डायरी संख्या........................

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने या प्रमाण पत्र जारी करने हेतू फीस........................ भी किया।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या...................... तारीख..................................

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या......................तारीख ....

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या....................... वैयक्तिक खाता संख्या..................

लेखा के हस्ताक्षर। खजांची के हस्ताक्षर।

जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की क्रम संख्या...तारीख...
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति .... उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त किए गए।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर...............
नाम...
तारीख...................................

प्ररूप ''ख''

(नियम 3 (2)देखें)

घोषणा

हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन करने वाला व्यक्ति, अपने आवेदन प्ररूप के साथ, उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अग्रखित करेगा, अर्थातः—

1. मैं सत्यनिष्ठा से अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं।
2. धमकी मिलने पर भी, मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का मानवीय विधि विरूद्व उपयागे नहीं करूंगा।
3. मैं गर्भधारण संकल्पना के समय से मानव जीवन के प्रति अत्यधिक सम्मान बनाए रखूंगा।
4. मैं धर्म, राष्ट्रीयता, जाति दलगत राजनिती या सामाजिक अवस्थिति के विचार को अपने कर्तव्य और रोगी के मध्य हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा।
5. मैं अपने व्यवसाय को विवेक और प्रतिष्ठा के साथ कार्यान्वित करूंगा।
6. मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा प्रथम महत्व होगा।
7. मैं गोपनियता को जो मुझ तक परिसीमित है आदर दूंगा।
8. मैं अपनेष्किकों को आदर दूंगा और उनका आभार प्रकट करूंगा, जिसके वे हकदार हैं।
9. मैं सम्पूर्ण शक्ति द्वारा, चिकित्सा वृति की प्रतिष्ठा और प्रभावशाली परम्पराओं को बनाए रखूंगा।
10. मैं अपने सहकर्मियों के साथ आदर और विवेक का व्यवहार करूंगा।
11. मैं मैडिकल काउंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट इंडिक्यूटी एण्ड एथिक्स) रेगूलेशन, 2002. में निखपित, चिकित्सा आचार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 10 के खण्ड (ग) के अधीन, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित आचार संहिता का पालन करूंगा।

मैनें ये वचन सत्यानिष्ठा से, स्वतन्त्र रूप से और अपने आदर सहित सम्मान से दिए हैं।

हस्ताक्षर...

नामः..

स्थानः..

पताः..

तारीखः...

प्ररूप 'ग'

[3 (5), 8 (3), और 10 (3) देखें]

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद शिमला

रजिस्ट्रीकरण संख्या

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद,
शिमला।

तारीख...........................

चिकित्सक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 के अधीन)

नाम...

पिता का नाम...

अर्हताएं ....

रजिस्ट्रीकरण का स्थान और तारीख...

पता...

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह, उपरोक्त चिकित्सा रजिस्टर में उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण स्थायी है।

हिमाचल प्रदेश, चिकित्सा परिषद, अधिनियम 2003 के उपबन्धों के अध्यधीन, यह प्रमाण पत्र.....................................
..... तक विधिमान्य है।

महत्वपूर्ण सूचना

1. पता परिवर्तन और अतिरिक्त अर्हताओं के बारे में रजिस्ट्रार को तत्परता से एक सप्ताह के भीतर (रिपोर्ठ) सूचित करे।

2. रजिस्ट्रार द्वारा की गई समस्त जांचो का, किसी विधिक विवक्षा आरै शास्ति से बचने के लिए निश्चय ही उतर दिया जाना चाहिए।

3. वार्षिक चिकित्सा सूची, जिसमें में प्रथम बार नाम आया है, कि प्रति पूर्ति, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संदाय पर की जाएगी और उसके लिए, किसी शास्ति से बचने के लिए, इसके प्रकाशन से एक मास के भीतर इस कार्यालय से लेना बाध्यकर होगा।

अध्यक्ष

मोहर।

रजिस्ट्रार

प्ररूप ''घ''

(नियम–4 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद

प्राप्ति संख्या......................

तारीख.............................

बैंक ड्राफ्ट संख्या .... तारीख............................... अंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन प्ररूपः–

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम

विवाहित नाम यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नाम मध्य नाम

विवाह पूर्व नामः– (विवाहित महिला की दशा में) उपनाम

2. पिता का नामः

3. लिंग पुरूष / महिला

4. पता (डाक प्रेषक पता): स्थाई पताः

5. (क) दूरभाष संख्या (ख) मोबाईल नम्बर (ग) ई0 मेल पताः–

6. जन्म का स्थान और तारीख

7. राष्ट्रीयताः क्या जन्म से / निवास स्थान से भारतीय है, यदि निवास स्थान से है तो भारतीय नागरिक बनने की तारीख दर्शाएं।

8. प्रारम्भिक शिक्षा (परीक्षा निकाय का नाम और उतीर्ण करने के वर्ष सहित मैट्रिक (दसवी) या इसके समकक्ष उतीर्ण परीक्षा की पूर्ण विशिष्टियां)

9. परीक्षा निकाय का नाम आरै उतीर्ण करने के वर्ष सहित इंटर–साईंस / प्री मैडिकल / 10+2 या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण करने की तारीख।

10. संस्था का नाम जहां आवेदक व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतू चयनित हुआ है (अस्पताल या संस्था) जहां ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना है क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है।

11. चिकित्सा जहां पर उपस्थित हुए का नाम.......................................

12. औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की आन्तिम परीक्षा, उतीर्ण करने की तारीख, मास और वर्ष सहित प्राप्त चिकित्सा डिग्री / डिप्लोमा और विश्वविद्यालय / अनुज्ञापन निकाय का नाम।

तारीख............................ आवेदक का हस्ताक्षर।

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही है, और मैं हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद और भारतीय, आयुर्विज्ञान परिषद की आचार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं।

तारीख................................. आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण.................................

1. आवेदन पीछे की तरफ हस्ताक्षर सहित हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इस आवेदन के साथ और शल्य चिकित्सा में स्नातक की परीक्षा उतीर्ण करने का, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष द्वारा जारी की गई अंतिम डिग्री / डिप्लोमा या अंतिम प्रमाणपत्र, सुसंगत प्रतियों सहित मूल रूप में अग्रेषित किए जाएंगे। मेल प्रति रजिस्ट्रीकरण के अंतिम प्रमाणपत्र के साथ वापिस की जाएगी।

3. जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र / माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष।

4. आवेदन प्रारूप उचित तौर पर और सुरूचिपूर्ण ढंग से भरा जाना चाहिए।

5. अनंतिक रजिस्ट्रीकरण हेतू अप्रतिदेय फीस के रूप में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के पक्ष में शिमला संदेय , 500 / –रू. (केवल पांच सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतू)

रजिस्ट्रीकरण आवेदन...डायरी संख्या.. को प्राप्त हुआ।

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने / प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस....................... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या........................... तारीख.......................

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या....................... तारीख....................

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या........................वैयवितक खाता संख्या............

लेखाकार के हस्ताक्षर .... खजांची के हस्ताक्षर

जारी किए गए अनंतिम प्रमाणपत्र की क्रम संख्या .... तारीख...........................
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति की अस्वीकृति।

उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त किए गए।

अंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर......................

नाम.................................
तारीख............................

प्ररूप (ङ)

(नियम–4 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद का लोगो (प्रतीक) (हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 के अधीन गठित)

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण संख्या / हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद / अंतिम.. यह प्रमाणित किया जाता है कि(जिसने बॉक्स में हस्ताक्षर किए है)

पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमति.......................... को .... विश्वविद्यालय से सम्बद्व (चिकित्सा महाविद्यालय) से .... (तारीख) को औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की आन्तिम परीक्षा उतीर्ण करने पर, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 के अधीन, व्यवहारिक प्रषिक्षण (इंटर्नशिप) हेतू, अनंतिम प्रमाण पत्र दिया गया है।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला की मोहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर, इस पर है।

उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, यह प्रमाण पत्र .... तक या इंटर्नशिप के पूर्ण होने पर, जो भी पश्यातवर्ती है विधिमान्य होगा।

धारक ऐसे प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतू, अनुमोदित संस्था में चिकित्सा व्यवसाय करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए हकदार नहीं है।

रजिस्ट्रार

टिप्पण :– यह प्रमाण पत्र, परिषद को आन्तिम (स्थाई) रजिस्ट्रीकरण के समय अभ्यर्पित किया जाना है।

प्ररूप 'च'

(नियम 5(1) देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का रूपविधान

रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम	पिता का नाम	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	पता	राष्ट्रीयता	अर्हता	नवीकरण की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 'छ'

(नियम 8 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद

(रसीद) प्राप्ति संख्या....................
तारीख......................................

बैंक ड्राफ्ट संख्या................................ तारीख............................. अतिरिक्त अर्हता (ओं) के रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन प्ररूप।

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नामः मध्य नामः उपनामः

2. पिता का नामः—

3. लिंग पुरूष/महिलाः

4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थाई पताः...

5. (क) दूरभाष नम्बर (ख) मोबाईल नम्बर (ग) ई0 मेल पताः

6. जन्म का स्थान एंव तारीखः

7. विश्वविद्यालय/अनुज्ञापन निकाय के नाम सहित प्राप्त की गई अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा की नाम पद्वति और अर्हता प्राप्त करने का वर्ष/स्नातकोतर के विषय भी उपदर्शित किए जाएंगे।

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय/ अनुज्ञापन निकाय का नाम	विश्वविद्यालय/अनुज्ञापन निकाय का नाम	अर्हता अभिप्राप्त करने का वर्ष

8. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण मूल प्रमाण पत्र संख्या .... का, तारीख. .... को अभ्यार्पण किया गया और इसमें संलग्न है।

9. पते सहित वर्तमान व्यवसायः—

तारीख...................................... आवेदक के हस्ताक्षर।

घोषणा

मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही है, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की आचार संहिता और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं।

तारीख........................ आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणः—

1. आवेदन के साथ मेल प्रतियों सहित सुसंगत अतिरिक्त अर्हता की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकेगी जो सत्यापन के पश्चात वापस की जाएगी।

2. आवेदन प्ररूप उचित तौर पर और सुरूचि पूर्ण ढगं से भरा जाएगा।

3. पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर सहित दो पासपोर्ट आकार के फोटो पश्य भाग में किए जाने हैं।

4. आवेदन के साथ फीस के रूप में प्रत्येक अर्हता हेतू 500/— रू. (केवल पाचं सौ रूपये) को बैंक ड्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के पक्ष में शिमला में संदेय अप्रतिदेय फीस के रूप में प्रस्तुत किया जएगा।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त केवल स्नातकोतर अर्हताएं ही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी।

6. उपरोक्त टिप्पण (5) में दी गई अतिरिक्त अर्हताओं की प्रविष्टियां, केवल उन व्यक्तियों के लिए, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम्, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 102) की अनुसूचियों में सम्मिलित है रजिस्ट्रीकरण योग्य मूल चिकित्सा अर्हता रखते हो, प्रविष्ट की जाएगी।

7. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इस आवेदन के साथ मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बदले में आवेदक को, अतिरिक्त अर्हता(ओं) को सम्मिलित करते हुए, नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतू

अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन ....को प्राप्त हुआ।
डायरी संख्या...

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने/प्रमाण पत्र जारी करने हेतू फीस .... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या............................ तारीख.....................

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या.............................. तारीख............

(घ) रोकड़ वही पृष्ठ संख्या......................... व्यैक्तिक खाता संख्या...................

लेखाकार के हस्ताक्षर खजांची के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रीकरण मूल प्रमाण पत्र संख्या.................... तारीख................... को रद् किया गया।

रजिस्ट्रार

अतिरिक्त अर्हता सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर................
नाम............................
तारीख..........................

प्ररूप ''ज''

(नियम 9 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद

रसीद प्राप्ति संख्या................
तारीख...................................

बैंक ड्राफ्ट संख्या.......................... तारीख.................................

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

   प्रथम नामः मध्य नामः उपनाम

2. पिता का नामः
3. लिंगः पुरूष/महिलाः
4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थायी पता
5. (क) दूरभाष (ख) मोबाइल स्थायी पताः (ग) ई0 मेल पता।
6. अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, के ब्यौरेः—

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय/चिकित्सा संस्था का नाम	विष्वविद्यालय/अनुज्ञाापन निकाय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष

7. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या .... को .... तारीख को किया गया और इसके साथ संलग्न है।
8. वर्तमान पता और व्यवसायः
   मैं इसके साथ, सत्यापन के लिए, मूल प्रमाण पत्र और निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करता हूं।

(क) पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर सहित हाल ही के तीन पासपोर्ट आकार के फोटो।

(ख) हिमाचल प्रदेाश चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

(ग) स्नातकोतर डिग्री/डिप्लोमा/पश्य चिकित्सकीय प्रमाण पत्र।

मैं एतद् द्वारा............................... बैंक को हिमाचल प्रदेश अप्रतिदेय फीस के रूप में 1000रू. (केवल एक हजार रूपये) को बैंक ड्राफ्ट संख्या .... तारीख शिमला में चिकित्सा परिषद के पक्ष में संदेय प्रस्तुत करता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर।

तारीख.....................

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही है और मैं हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की आचार संहिता का, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद चिकित्सा परिषद के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतू)

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू डायरी संख्या................................ आवेदन..............................को प्राप्त हुआ।

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने/प्रमाणपत्र जारी करने हेतू फीस.................... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या....................... तारीख.........................

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या.................. तारीख

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या.................. व्यैक्तिक खाता संख्या.....................

लेखाकार के हस्ताक्षर खजांची के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र................... कम संख्या पर ...., तारीख का नवीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपराके त दस्तावजे मूल रूप में प्राप्त किया गया।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम.......................................
तारीख...................................

प्ररूप 'झ'

(नियम 9 (3) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन साधारण सूचना)

प्रेस नोट

यह समस्त चिकित्स व्यवसायियों, जो औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति और इसकी समस्त शाखाओं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम्, 1956 (1956 का 102) की प्रथम द्वितीय या तृतीय अनुसूची में यथा विहित अर्हताएं है, को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम्, 2003 (2003 का 16) जिसे इसमें इसके पश्चात, अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है, जो .... 2003 से प्रवृत है, यह उपबंध करता है कि, (पशु चिकित्सा औषध या शल्य पशु चिकित्सा या (होम्योपैथिक) या आर्युवेद या सिद्वा या यूनानी औषध प्रणाली को अपवर्जित करके, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में अर्हित हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात इसे नवीकृत किए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यवसाय नहीं कर सकेगा और न ही व्यवसाय को जारी रख सकेगा।

कोई व्यक्ति, जिसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है जिसकी विधिमान्यता/समाप्त हो गई है, राज्य चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में अपना नाम जारी रखने की बाधा रखता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर रजिस्टर में अपना नाम जारी रखने हेतू, रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला को, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू, विहित फीस और सम्बद्व दस्तावेजों के साथ, प्ररूप 'ज' में आवेदन करेगा। यदि आवेदन, उपर्युक्त नियत तारीख के या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यतिक्रमी का नाम हटा देगा।

यह प्रेस नोट सर्वसाधारण की जानकारी हेतू प्रकाशित किया गया है। अतिरिक्त ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद स्नोडन अस्पताल, शिमला से प्राप्त किए जा सकते हैं।

रजिस्ट्रार

(प्ररूप 'ञ')

(नियम 10(1) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा की उपधारा (5) के अधीन साधारण सूचना।

प्रेस नोट

यह, समस्त चिकित्सा व्यवसायियों, जो औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति के व्यवसाय में लगे हुए हैं और जिसके पास भारतीय, और इसकी समस्त शाखओं, आयुर्विज्ञान अधिनियम् 1956 (1956 का 102) की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में यथाविहित अर्हताएं है, को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) जो ...., 2003 से प्रवृत है के उपबन्धों के अधीन, कोई व्यक्ति, (पशु चिकित्सा औषध या सिद्वा या यूनानी औषध प्रणाली को अपवर्जित करके) चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में अर्हित हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना राज्य हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय नहीं कर सकेगा और न ही व्यवसाय को जारी रख सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम 1, मई 1961 से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद रजिस्टर में प्रविष्ट था और उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक जिसका नाम रजिस्टर में बना रहा हो, वह हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद, अधिनियम, 2003 के अधीन तैयार किए गए। रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा।

कोई व्यक्ति, जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में .... को या के प्श्चात् अपना नाम जारी रखने या प्रविष्ट करने की बाधा रखता है, तो वह साधारण नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान से पूर्व, अधिनियम की धारा 15 के अधीन उसके द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करने हेतू, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला को रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू विहित फीस सहित प्ररूप 'ज' में आवेदन करेगा।

यह प्रेस नोट सर्वसाधारण की जानकारी हेतू प्रकाशित किया गया है। अतिरिक्त ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्, स्नोडन अस्पताल, शिमला से प्रत्यक्षतः प्राप्त किए सकेंगे

रजिस्ट्रार

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद।

प्ररूप 'ट'

(नियम 10 (1) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 15 की उप धारा (5) के अधीन नोटिस)

सेवा में,

श्री..................................

....

....

महोदय,

यह आप के ध्यान मे लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की अधिनियमित से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वाति में अर्हित हो, हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात इसे नवीकृत किए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यवसाय नहीं कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम 1 मई, 1961 से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रजिस्टर में प्रविष्ट था तथा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूववर्ती दिनांक तक जिसका नाम रजिस्टर में बना रहा हो, वह राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा तैयार किए गए। रजिस्टर में अपना नाम बनाए रखने का हकदार होगा।

2. आप का नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रजिस्टर में .... को अर्थात 1 मई, 1961 से पूर्व, रजिस्ट्रीकृत था और .... दिन 2003 तक अर्थात हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) के प्रारम्भ की तारीख तक, ऐसे ही जारी रहा और इस प्रकार आप अपना नाम राज्य रजिस्टर में बनाए (जारी) रखने के हकदार है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप, राज्य रजिस्टर में .... को या के पश्चात् अपना नाम जारी रखने या प्रविष्ट करने की बाधा रखते हैं तो आप इस सूचना के जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान से पूर्व अधिनियम की धारा 15 के अधीन बनाए रखे गए। राज्य चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने हेतू परिषद के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू विहित फीस और सम्बद्व दस्तावेजो सहित, प्ररूप 'ज' में आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्।

प्ररूप – 'ठ'

नियम 14(1) देखें

चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यतिकारी (पारस्परिक रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन का प्ररूप।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्,
शिमला।

महोदय,

मैं, निवेदन करता हूं कि ....के अधीन मेरा नाम चिकित्सा व्यवसायी के रूप रजिस्ट्रीकृत करने की कृपा करें।

मैं .... परिषद, का रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हूं .... परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न है। मैं हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने का आशय रखता हूं।

व्यतिकारी रजिस्ट्रीकरण हेतू ....रूपये फीस का बैंक ड्राफ्ट, आप को भेज दिया गया है।

मैं नीचे आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. पूरा नाम/ (बड़े अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम..
3. जन्म की तारीख एवम् स्थान...
4. अर्हताएं जिसके आधार पर .... परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।
5. आवास/दिपता
6. व्यवसायिक पता
7. नियोजक यदि कोई है, का नाम।
8. डिग्री/डिप्लोमा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति/अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

भवदीय।
(आवेदक का नाम)

तारीख.......................
स्थान........................

निर्देष

इस आवेदन में प्रविष्ट नाम विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा में प्रविष्ट आवेदक के नामों से यथावत समरूप होना चाहिए।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
प्रधान सचिव।

———

[Authoritative English Test of this Department Notification No. HFW-B(A) 2-2/2001-I, dated 16-8-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution.]

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 31 of the Himachal Pradesh medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act ibid and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh for the information of the general public.

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion with regard to these rules, he may send the same to the Principal Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra Himachal Pradesh.

The objection or suggestion, if any received within the above stipulated shall be taken into consideration by the Govt. before finalizing the said draft rules, namely:-

DRAFT RULES

PART- I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Registration) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Act" means the Himachal Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);

(b) " Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act;

(c) " Execute Committee" means the Executive Committee of the Council constituted under section 11 of the Act;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(f) "prescribed fees" means the fees prescribed by the State Govt. under the Himachal Pradesh Medical Council (Fees) Rules, 2007 or under any other provisions of the Act;

(g) "President" means the President of the Council;

(h) "register" means the register of medical practitioners prepared and maintained under section 15 of the Act;

(i) "Registrar" means the Registrar of Council to be appointed by the Council from time to time under section 14 of the Act

(j) "section" means a section of the Act;

(k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh, and

(l) "Vice-President" means the Vice President of the Council.

(2) The terms and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II REGISTRATON

3. *Registration of practitioners.*—(1)Any person who possesses any of the qualifications in the First, Second or Third Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No.102 of 1956) shall, subject to any conditions laid down by or under that Act, and is in service in connection with, or wishes to practise in, modern scientific system of medicine in the State of Himachal Pradesh, apply for registration in the live register of the Council by applying to the Registrar in Form "A" alongwith copies of certificates of educational qualifications acquired, four passport size photographs and prescribed fees.

(2) Each applicant, at the time of making an application for registration under this rule shall submit duly signed declaration inform 'B', alongwith a certificate that he/she had read and agreed to abide by the same.

(3) The Registrar may, after examining the application, require the applicant to furnish such other information or documents as he may deem necessary to establish the claim of the applicant.

(4) If the Registrar, on receipt of the application under sub-rule (1) or on receipt of further information or documents under sub-rule (3) from the applicant and after making such further inquiry, as he may deem proper, is satisfied that he applicant is entitled to have his name entered in the register, he shall enter his name in the register and if he is not so satisfied he shall reject the application.

(5) The person whose name has been entered in the register under sub-rule (4) shall be issued a certificate in Form "C" by the Registrar on payment of prescribed fee and the persons whose application is rejected shall be informed of the decision within fifteen days of the date on which the order is passed on the application.

(6) Every practitioner registered under section 15 shall renew his registration after every three years, by making an application to the Registrar accompanied by the fee prescribed. The Registrar shall endorse the renewal on the original certificate.

4. *Provisional registration.*—Notwithstanding anything to the contrary contained rule 3, any person, who has passed the qualifying examination of any University or Medical Institution in India for the grant of a recognized medical qualification shall be entitled to be registered provisionally for the purpose of internship training and on an application made for provisional registration to the Registrar in Form "D" alongwith the prescribed fees, the Registrar will issue a certificate of provisional registration in Form "E".

5. *Preparation of register.*—(1) The register of medical practitioners for the State of Himachal Pradesh referred to the sub-section (1) of section 15 shall be in Form "F".

(2) The Registrar shall publish a notice in the Official Gazette and in such newspapers, as the Council may select about the register having been prepared and the register shall come into force from the date of the publication of such notice in the Official Gazette.

(3) The Registrar shall publish, annually, on or before a date to be decided by the Executive Committee, or in case Executive Committee is not constituted by the Council, an addendum and corrigendum to the list to be published and after the publication of the name in the register, the last edition of that alone shall be legal evidence of registration.

6. *Change of name to be intimated to the Registrar.*—If a registered practitioner changes his name, he shall immediately inform the Registrar about the same and satisfy the Registrar that he has already notified the fact of the change of name in a leading newspaper having wide circulation in the area in which he carries on his practice. The Registrar shall on being so satisfied and on receipt of prescribed fee enter the changed name in the register accordingly. Necessary change in the registration certificate will also be made by the Registrar.

7. *Change of address*.—Every registered practitioner shall send to the Registrar immediate notice of any change in his address so that his correct address may be duly inserted in the register otherwise the name of such practitioner is liable to be erased from the register.

8. *Entries in the Register regarding additional qualifications.*—(1) Persons registered with the Council are entitled to apply for entering additional qualifications acquired by him as specified in the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No.102 of 1956) in Form "G" on the Council's register on payment of the prescribed fee.

(2) The applicant shall furnish alongwith his application under sub-rule (1), the relevant degree, diploma, as the case may be, duly attested by a Gazetted Officer, on the basis of which entry in the register is sought and the Registrar may require the applicant to produce the original degree or diploma, as the case may be, to satisfy his claim.

(3) After scrutiny of the application for additional qualification (s), and further information furnished under sub-rule (2) a new registration certificate shall be issued incorporating the additional qualifications in lieu of the original certificate of registration in Form "C" returned by

the applicant and the period of validity of the certificate shall remain as the original certificate with a mention of date incorporating the additional qualification(s).

(4) If the Registrar, either on receipt of application under sub-rule (1) or further information furnished by the applicant under sub-rule(2) and after making such further enquiry as he may deem fit, is satisfied that the applicant is not entitled to have the degree or diploma, as the case may be, entered in the register, he shall reject the application:

Provided that no order rejecting any application shall be passed without giving the applicant an opportunity of being heard.

9. *Renewal of registration.*—(1) The registration certificate can be renewed by the Council on receipt of application in Form "H" alongwith the fee prescribed for renewal of registration.

(2) The Registrar shall consider the application made under sub-rule (1) and if found fit shall renew the registration.

(3) The Registrar shall, after the date of publication of the notice under sub-section (6) of section 15, on such date as the Executive Committee may with the previous sanction of the Government, decide, and every three years thereafter, cause a notice in Form "I" to be published in the Official Gazette, calling upon all the registered practitioners to make an application within a period of 45 days from the ate of publication of the notice, to the Registrar for the continuance of their names on the register.

10. *Notice for registration under section 15 (3).*—(1) The Registrar shall, within a period of five years from the commencement of the Act, publish a General notice in Form "J" in the Official Gazette and in two such newspapers, as the Council may select, calling upon every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961, in the Indian Medical Council register and continued in such registration on the day immediately preceding the date of the commencement of the Act, to pay to the Registrar, the prescribed fee if he desires to have his name entered in the register maintained under the Act, and shall also send individual notice in Form "K" for like purpose by registered post to every such person at his last known address.

(2) The name of every person referred to under sub-rule (1), who applies for entry of his name in the register and pays the fees prescribed for the renewal of the registration, before the expiry of the period of two moths from the publication of the General notice in the Official Gazette shall be entered in the register.

(3) The person whose name has been entered in the register under sub-rule(2), shall be issued a certificate in Form "C".

11. *Removal from register*.—Whenever information reaches the office of the Registrar that a practitioner has been convicted of a cognizable offence as defined in the Code of criminal Procedure, 1973, which discloses such defect of a moral character as is, in the opinion of the Council sufficient to make him unfit to practise in his profession or has been found, after the due enquiry, guilty of conduct which is in the opinion of the Council, infamous in any professional respect, the Registrar shall make an extract of such information and place the same before the Council for such action as the Council may like to take under the provisions of the Act:

Provided that the Council, shall, before passing an order under clause (b) of sub-section (1) of section 22, give the practitioner concerned an opportunity of being heard, if so desired by him.

12. *Surrender of registration certificate.*—A registered practitioner whose name is removed from the register by the Registrar shall on receipt of an intimation of such removal forthwith surrender his registration certificate to the Registrar.

13. *Restoration of registration.*—The Executive Committee, and in the absence of Executive Committee the Council, may consider a case of restoration of registration of a person whose name has been struck off from the register and may direct the Registrar to re-enter the name of the practitioner in the register on payment of the prescribed fees.

14. *Migration/Transfer.*—(1) Applicants for reciprocal registration will apply in Form "L" with prescribed fee to the Registrar of the Council together with his existing valid registration certificate of the other Council in original.

(2) The Council shall call for no objection certificate from the concerned Council sending the original registration certificates.

(3) The copies of the following documents shall be called for from the concerned Council and the concerned Council shall also furnish the same:—

(a) qualification certificate on the basis of which original registration was granted;

(b) date of birth, home address, professional address etc. as furnished in the original application for registration.

(4) The registered medical practitioners of the Council requesting for transfer of his/her registration to other Council shall have to produce proof of residence or proof of carrying on medical practice in Himachal Pradesh.

(5) Requests for migration to another Medical Council shall be considered by the Council and after the approval by the Council "No objection Certificate" shall be issued by the Registrar.

15. *Issue of duplicate registration certificate.*—If a registration certificate is lost, destroyed or mutilated, the registered practitioner may at any time during which the certificate is in force, apply to the Registrar for a duplicate certificate and the Registrar shall on being satisfied issue, on receipt of fee prescribed, on furnishing an indemnity bond and after due confirmation and approval of the Executive Committee, a duplicate certificate. The duplicate certificate shall be inscribed on the top of the certificate.

16. *Fee for supply of certified copy.—(*1) The copy of any order passed by the Council or the Registrar or any entry in the register shall be supplied on receipt of fee prescribed fee as specified in the Himachal Pradesh Medical Council (fee) Rules, 2007.

(2) In case of urgent application, the copy sought for shall be ready for delivery to the applicant by the close of office hours of the day following that on which the application is made.

17. *Verification of pages of register.***—**Each page of the register shall be numbered and verified by the Registrar and he shall sign each of the pages of the resister.

FORM-A

**(See r
ule 3)**

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Receipt No. ....

PHOTO

Dated: ....

Bank Draft No. .... Date........................

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)

   First Name: _________________Middle Name:__________________ Surname :______________

   Married name, if any (in block letters)

   First Name:__________________Middle Name:_________________Surname:________________

   Maiden Name (in case of married women)

   First Name:___________________Middle Name: ________________Surname:_______________

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:

7. Nationality: Whether Indian by Birth/by Domicile, If by Domicile, state date of becoming Indian Citizen.

8. Details of Internship:

9. Details of Qualifications:

Sr. N.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of completion of Internship in case of Bachelor or Medicine and Surgery/in any other case year of passingexamination

10. Details of Provisional Registration/Registration with any other Council.

11. Present occupation with address:

I submit herewith original certificates for verification and submit copies of the following certificates:-

(a) Four recent passport size photographs with name and signature at the backside.

(b) State Medical Council/Medical Council of India registration Certificate with Bachelor of Medicine and Surgery Qualification.

(c) Bachelor of Medicine and Surgery Degree/Post Graduate Degree/Diploma/Post Doctoral Degree.

(d) Birth certificate/matriculation certificate/Senior Secondary Certificate Exam Certificate/School Leaving Certificate with Date of Birth.

(e) Identity proof

(f) Other evidence in support of my having obtained the qualification which I am possessing in original.

In case of fresh registration

* Four recent passport size photographs with name and signature at the backside.

* Original Internship/Completion Certificate. The same shall be returned alongwith Himachal Pradesh Medical Council's Certificate of permanent registration.

* Original Provisional Registration Certificate.

* Birth Certificate/matriculation certificate/Senior Secondary Certificate Exam Certificate/ School Leaving Certificate with Date of Birth.

* Identity Proof.

I hereby submit a Bank Draft No. .... dated drawn on............................... Bank for Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) as non-refundable fee in favour of Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla.

Signature of Applicant

AFFIDAVIT

I ________________S/o Sh.____________ resident of______________________________village ______________________________intending to practise in village/Mohala __________________ Tehsil _________________ Post Office___________________Police Station________________ Distt. ___________ solemnly declare as follows:

(a) that I have not been adjudicated by a competent Court to be of unsound mind;

(b) that I have not been convicted and sentenced by a criminal Court to imprisonment for anyoffence involving moral turpitude;

(c) that I am not undischarged insolvent;

(d) that my name has not been removed from the register of practitioners maintained by the Council for professional misconduct;

(e) that I have gone through the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (16 of 2003) and rules framed thereunder; and also the Code of Ethics of the Himachal Medical Council and Medical Council of India and I promise to abide by the provisions of the said Act, rules and Codes of Ethics.

Deponent

DECLARATION

I solemnly declare and affirm that the contents given in the application for registration in paras (a) to (e) above are correct to the best of my knowledge and belief. I further declare on oath that nothing relevant has been concealed. and undertake to abide by the Code of Ethics of the Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Verified on _______________________at Shimla.

Dated: Signature of Applicant.

ATTESTED:

Signature of the Attesting Authority..

Name in full (Block Letters)..

Designation...

Place........................ Dated 2006

Note: The application to be attested by the Magistrate of Ist Class or the Notary Public.

(For Office Use only)

Registration Application received on............................ Diary No. ....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on........

(b) Official receipt No. .... dated..............................

(c) Fee register entry No. .... dated ....

(d) Cash Book page No. .... Personal ledger No. ....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Sr.No. of Registration Certificate Issued ....dated ....

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate

Received the above document in original.

Signature of registered person......................

Name..

Date...

FROM "B"

[see rule 3 (2)]

DECLARATION

Person applying for registration with Himachal Pradesh State Medical Council shall forward alongwith his application form the following declaration duly signed by him, namely.-

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanitys?

2. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

3. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception?

4. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.

5. I will practise my profession with conscience and dignity.

6. The health of my patient will be my first consideration.

7. I will give respect to secrets which are confined in me.

8. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.

9. I will maintain by all means in power, the honour and noble traditions of medical profession.

10. I will treat my colleagues with all respect and dignity.

11. I shall abide by the Code of medical ethics as enunciated in the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002;and the Code of Ethics prescribed by the Himachal Prdaesh Medical Council, under clause (c) of section 10 of the Himachal Pradesh Medial Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003).

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Signature ________________________

Name: ________________________

Place: ___________________________

Address: _________________________

Date: __________________________

FORM-C
[See rules 3, (5) & 8 (3) 10 (3)]

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL SHIMLA

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL SHIMLA

Registration No.

Himachal Pradesh
Medical Council,
Shimla.

Dated:

Signature of Doctor

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(Under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003)

Name ____

Father's Name ____

Qualifications ____

Date & Place of Registration ______________________________

Address ____
____

I do hereby certify that this is a true copy of the entry of the above specified name in the Medical Register and the above Registration is Permanent.

Subject to the provisions of the Himachal Pradesh, Medical Council Act, 2003 this Certificate is valid upto __________________.

IMPORTANT NOTICE

1. Report change of address and additional qualifications promptly to the Registrar within a week.

1. All enquires made by the Registrar should be answered without fail to avoid any legal implications and penalty.

[

2. A copy of the Annual Medical List wherein the name first appears shall be supplied on payment to every person registered and shall be obligatory for him/her to take from this office within a month of its publication to avoid any penalty.

President
SEAL
Registrar

FORM-D

(See rule 4)

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

PHOTO

Receipt No. ....

Dated: ....

Bank Draft No. .... Date ....

APPLICATION FORM FOR PROVISIONAL REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)

First Name: Middle Name: Surname:

Married name, if any, (in block letters)

First Name: Middle Name: Surname:

Maiden Name (in case of married women)

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:

7. Nationality: Whether Indian by Birth/by Domicile, If by Domicile, state date of becoming Indian Citizen.

8. Preliminary Education (full particulars of matriculation or equivalent examination passed with name of the examining body and year of passing)

9. Date of passing Inter-Science/Pre-Medical/10+2 or equivalent examination with name of the examining body and year of passing.

10. Name of the Institution where applicant has been selected for practical training (whether the Hospital or Institution) where such training is to be undertaken is recognized by the Medical Council of India.

11. Name of the medical college attended.

12. Name of the medical degree/diploma obtained and University/Licensing Body with date, month and year of passing the final Bachelor of Medicine and Surgery examination with the Roll No.

Date...... Signature of the Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Date...............

Signature of Applicant.

Note:

1. Application is to be submitted at the office of the Himachal Pradesh Medical Council alongwith four recent passport size photographs with signature at the backside.

2. Provisional degree/diploma or provisional certificate of having passed the Bachelor of Medicine and Surgery examination issued by the Dean of the College/University in original along with relevant copies be forwarded with this application. The original shall be returned with the provisional certificate of registration.

3. Certificate of date of birth/Secondary School Certificate or equivalent).

4. The application form shall be properly and neatly filled up.

5. Bank Draft for Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla shall be submitted with the application as non-refundable fee for provisional registration.

(For Office Use only)

Registration application received on............................ ..Diary No. ....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on ....

(b) Official receipt No. .... dated ....

(c) Fee register entry No. .... dated ....

(d) Cash Book page No. .... Personal ledger No. ....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Sr.No. of Provisional Registration Certificate Issued .... dated ....

Acknowledgement of receipt of Provisional Registration Certificate

Received each of the above document in original.

Signature of provisionally registered person ....

Name ....

Date ....

FORM-E

(See rule 4)

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Logo of Himachal Medical Council

(Constituted under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003)

CERTIFICATE OF PROVISONAL REGISTRATION

PHOTO

Provisional Registration No. Himachal Pradesh Medical Council/
Provisoinal / ....

This is certify that
(Who has signed in the box

Son/Daughter of Shri/Smt.. having passed the final Bachelor of Medicine and Surgery Examination on .... (date) from .... (Medical College) affiliated to the University of .... has

been given Provisional Registration under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, for the purpose of practical training (internship).

In witness whereof, the seal of the Himachal Pradesh Medical Council Shimla and signature of the Registrar, are herewith affixed.

Subject to the provisions of the said Act, this certificate is valid upto .... or the completion of the Internship, whichever is later.

The holder shall be entitled to practise medicine in the approved institution for the purpose of such training and for no other purpose.

Registrar

N.B.:- This certificate is to be surrendered to the Council at the time of Final Registration.

FORM-F

[See rule 5 (1)]

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

FORMAT OF REGISTER OF MEDICAL PRACTITIONERS

Regn No.	Name	Name Father's	Date of Registration	Address	Nationality	Qualific-ation	Date of renewal	Remarks

FORM-G

(See rule 8)

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Receipt No. ....

Dated: ....

PHOTO

Bank Draft No. .... Date ....

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATION(S)

1. Name of the Applicant (in block letters)
   First Name: Middle Name: Surname:

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:

7. Nomenclature of additional Degree/Diploma obtained with the name of the University/Licensing Body and the year of obtaining the qualification. The subject of Post Graduation(s) shall also be indicated.

Sr.No.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of obtaining the qualification

8. Original Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate No. ....
   dated .... surrendered and attached herewith.

9. Present Occupation with address:

Date: ....

Signature of the Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Date __________ Signature of Applicant.

Note:

1. Copies of relevant additional qualification may be submitted with the application alongwith originals, which shall be returned after verification.

2. The application form shall be properly and neatly filled up.

3. Two recent passport size photographs with name and signature at the backside are to be submitted.

4. Bank draft for Rs. 500 (Rupees Five Hundred only) as non-refundable fee per qualification in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla shall be submitted alongwith the application as fee.

5. Only post graduate qualifications recognized by the Medical Council of India shall be entered in the register.

6. Entries of additional qualifications as under 5 shall be entered only for those persons who possess a registerable basic medical qualification as included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956)

7. The Certificate of Registration with the Himachal Pradesh Medical Council shall be required to be submitted, in original, with this application. A new certificate of Registration incorporating the additional qualification(s) shall be issued to the applicant in lieu of the original certificate of Registration submitted by the applicant.

(For Office Use only)

Application for registration of additional qualifications received on...................

Diary No. ....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on ....

(b) Official receipt No. .... dated ....

(c) Fee register entry No. .... dated ....

(d) Cash Book Page No. .... Personal ledger No. ....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Original Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate
No.................................. dated .... cancelled.

Registrar

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate with Additional Qualification

Signature of registered person............................

Name ....

Date ....

FORM-H

(See rule 9)

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

PHOTO

Receipt No... ....

Dated: ....

Bank Draft No. .... Date ....

APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)
   First Name: Middle Name: Surname:

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Details of additional qualification, if any:

Sr.No.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of Passing the examination

7. Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate No. ....dated ....surrendered and attached herewith.

8. Present occupation with address:

I submit herewith original certificates for verification and submit copies of the following certificates:-

(a) Three recent passport size photographs with name and signature at the backside.

(b) Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate.

(c) Post-Graduate Degree/Diploma/Post-Doctoral Degree Certificate.

I hereby submit a Bank Draft No. .... dated .... drawn on .... Bank for Rs. 1000 (Rupees One Thousand only) as non-refundable fee in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla.

Date ____________ Signature of Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of the Himachal Pradesh Medical Council.

Signature of Applicant.

(For Office Use only)

Application for renewal of registration received on .... Diary No. ....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on ....

(b) Official receipt No. .... dated ....

(c) Fee register entry No. .... dated ....

(d) Cash Book Page No. .... Personal ledger No. ....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Serial No. of Registration Certificate Renewed .... dated ....

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate

Received the above document in original.

Signature of registered person ....

Name ....

Date ....

FORM-I

[See rule 9(3)]

HIMACHAL PRADESH MEDICALA COUNCIL

[General Notice under sub-section (1) of section 23 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003)]

PRESS NOTE

It is brought to the notice of all the medical practitioners engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches and have qualifications as prescribed in the First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act No. 102 of 1956) that Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) hereafter referred to as the Act, which came into force with effect from ______________ the day __________ 2003, provides that no person though qualified in modern scientific system of medicine (excluding veterinary medicine or veterinary surgery or the Homeopathic or the Ayurveda or the Sidha or the Unani System of medicine) can practice or continue to practice in the State of Himachal Pradesh without having a certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council, constituted under section 3 of the said Act and getting it renewed after every three years.

Any person who has certificate of registration, validity of which has expired desirous of getting his name continued in the State Medical Practitioners Register, should within a period of 45 days from the date of publication of this notice, make an application in form H_____, alongwith connected documents and fee prescribed for renewal of registration to the Registrar, Himachal Pradesh Medical Council Shimla for continuance of his name on the register. If the application is not made on or before the date fixed, as aforesaid, the Registrar shall remove the name of the defaulter from the register.

This press note is published for general information. Further details may be obtained directly from the office of Himachal Pradesh Medical Council, Snowdon Hospital, Shimla.

REGISTRAR

FORM –J

[Rule see 10 (1)]

HIMACHAL PRADSH MEDICAL COUNCIL, SHIMLA

[General notice under sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003)]

PRESS NOTE

It is brought to the notice of all the medical practitioners engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches, and have qualifications as prescribed n First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act No. 102 of 1956) that under the provisions of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) (hereinafter called the Act) which has come into force with effect from the day of ________, 2003

no person though qualified in modern scientific system of medicine (excluding veterinary medicine or the Sidha or the Unanii system of medicine) can practice or continue to practice in the State of Himachal Pradesh without having a certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council constituted under section 3 of the said Act.

Under sub-section (4) of section 15 of the said Act every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961, in the Indian Medical Council Register and continued in such register on the day immediately preceding the date of the commencement of the said Act is entitled to have his name entered in the register prepared maintained under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003.

Any person who is desirous of getting his name continued/entered in the State Medical Register on or after ________________ shall make the application in Form H_____ alongwith fee prescribed for renewal of the registration to the Registrar, Himachal Pradesh Medical Council, Shimla to have his name entered in the register maintained by him under section 15 of the Act, before the expiry of the period of two months from the date of publication of the general noticed in the Official Gazette.

This press note is published for general information. Further details may be obtained directly from the office of the Himachal Pradesh Medicla Council, Snowdon Hospital, Shimla.

Registrar
Himachal Pradesh Medical Council.

FORM - K

[See rule 10 (1)]

[NOTICE UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 15 OF THE HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL ACT, 2003 (ACT NO.16 OF 2003)

To

Shri _________________________
____
____

Sir,

This is to bring to your kind notice that with the enactment of the Himachal pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003) that no person though qualified in modern scientific system of medicine can practice in the State of Himachal Pradesh, without having certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council and getting it renewed after every three years. Under sub-section (4) of section 15 of the said Act, every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961 in the Indian Medical Council Register and continued in such register on the day immediately preceding the date of commencement of the said Act is entitled to have his name continued in the register prepared by the State Medical Council.

2. Your name was registered in the register of the Indian Medical Council on _________________ i.e., prior to the Ist May, 1961, and continued as such till the ________ day of ______2003 i.e. the date of commencement of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003

(Act No. 16 of 2003) and as such you are entitled to get your name continued in the State Registered.

3. Take notice that, if you are desirous of getting your name continued/entered in the State register on or after ________ you shall make the application in Form H_____, alongwith connected documents and fee prescribed for renewal of registration, to the Registrar of the Council, to have your name entered in the State Medial Practitioners Register maintained under section 15 of the Act, before i.e. expiry of period of two months from the date of issue of this notice.
Registrar Himachal Pradesh Medical Council

FORM- L

[See rule 14 (1)]

FORM OF APPLICAOTN FOR RECIPROCAL REGISTRATION AS MEDICAL PRACTITIONER

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Medical Council,
Shimla.

Sir,

I request that my name be registered as medical practitioner under the _____________ .

I am registered medical practitioner of .... Council, The certificate in original issued by .... Council is attached. I intend to carry on medical practice in Himachal Pradesh.

The fee of Rs............................... for reciprocal registration has been sent to you by bank draft.

I give below the necessary particulars:-

1. Full name (in block letters)

2. Father's/Husband's name

3. Place and date of birth

4. Qualifications on the basis of which registration was obtained from .... Council.

(1)

(2)

5. Residential address.

6. Professional address.

7. Name of the employer, if any,

8. Original/attested copy/copies of the degree/diploma/certificate of registration is/are attached.

Yours faithfully,

(Name of the applicant)

Dated the ....

Place: ....

____

INSTRUCTION

The names entered in this application must exactly correspond with the names of the applicant entered at the University or other examination.

By order,
Sd/—
Principal Secretary.

———————

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATIONS

Shimla, the 22 August, 2007

No.HHC/GAZ/14-258/2003.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 13 days commuted leave w.e.f. 23.7.2007 to 4.8.2007 with permission to suffix Sunday fell on 5.8.2007 in favour of Shri Avinash Chander, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Kangra.

Certified that Shri Avinash Chander has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Avinash Chander would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Kangra, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 25 August, 2007

No.HHC/GAZ/14-260/03.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 2 days commuted leave for 7th and 8th August, 2007 in favour of Shri Rajesh Chauhan, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (I), Ghumarwin.

Certified that Shri Rajesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (I), Ghumarwin, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 31st August, 2007

No.HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 6 days commuted leave w.e.f. 13.8.2007 to 18.8.2007 in favour of Mrs. Parveen Chauhan, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (2), Ghumarwin.

Certified that Mrs. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Mrs. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil judge (Jr. Divn.)-Cum-JMIC (2), Ghumarwin, but for her proceeding on leave for the above period.

Shimla , the 8 August, 2007

No.HHC/GAZ/14-270/2003.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 11 days earned leave w.e.f. 27.8.2007 to 6.9.2007 with permission to prefix Sunday falling on 26.8.2007 in favour of Shri Yajuvender Singh Civil Judge (Jr. Division)-cum-SDJM, Chachiot at Gohar.

Certified that Shri Yajuvender Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Yajuvender Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-SDJM, Chachiot at Gohar, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 13th August, 2007

No.HHC/GAZ/14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 6 days earned leave with effect from 24.8.2007 to 29.8.2007 in favour of Ms. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Junior Division.)-Cum-JMIC, (IV), Mandi, H.P.

Certified that Ms. Gurmeet Kaur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-Cum-JMIC (IV), Mandi, but for her proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 8th August, 2007

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Sr.Divn.)-cum-ACJM (I), Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of

the Court of Civil Judge(Jr. Divn.)-Cum-SDJM, Chachiot at Gohar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" during the leave period of Shri Yajuvender Singh, Civil Judge (Jr. Division)- cum-SDJM, Chachiot at Gohar w.e.f. 27.8.2007 to 6.9.2007 with permission to prefix Sunday falling on 26.8.2007 or until he returns from leave.

Shimla, the 2nd August, 2007

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Jr.Divn.)-cum-JMIC(I), Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Jr. Divn.)-Cum-JMIC (II), Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 Administration of Justice" with immediate effect till Shri Avinash Chander returns from leave.

Shimla, the 9th August, 2007

No.HHC/GAZ/14-84/77-IV.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 8 days commuted leave w.e.f. 23.7.2007 to 30.7. with permission to prefix Sunday fell on 22.7.2007in favour of Shri P.C.Sharma, District and Sessions Judge, Solan.

Certified that Shri Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Solan but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, the 13th August, 2007

No.HHC/GAZ/14-247/2000-I.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to order the cancellation of un-availed 5 days earned leave w.e.f. 6.8.2007 to 10.8.2007 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 24/27.7.2007, in favour of Shri A.C.Dogra, District and Sessions Judge, Mandi, H.P.

Shimla, the 14th August, 2007

No.HHC/Admn.6(22)74-VIII.—he High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under Section 9(5) of the Code of Criminal Procedure is pleased to empower the Civil Judge(Sr. Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo to look after the urgent work pertaining to the court of District and Sessions Judge, Kinnaur with immediate effect till Sh. Ravinder Parkash, District & Sessions Judge, Kinnaur returns from medical leave.

Shimla, the 1st September, 2007

No.HHC/Admn.3(117)/78-I.—13 days earned leave on and with effect from 3.9.2007 to 15.9.2007 with permission to affix Sundays falling on 2.9.2007 and 16.9.2007 is hereby sanctioned in favour of Sh. Tek Ram, Secretary of this Registry.

Certified that Sh. Tek Ram is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/—
Registrar general.

कार्मिक विभाग(नियुक्ति–।।)

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2007

स0 पर(एपी–बी)बी(2)–6/99:– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 14–02–2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 में और संशोघन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवांए चयन बोर्ड सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोघन) नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोघनः–** (1) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 के, उपाबन्ध "क" में,:–

(i) स्तम्भ संख्या–10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :– " शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर स्थानांतरण द्धारा सैकण्डमैंट आधार पर ।" और

(ii) स्तम्भ संख्या–15 के सामने विद्यमान उपबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"15 क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(i) संकल्पना :– (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में सफाईकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :– अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो तथा 28–01–2004 को अधिसूचित तथा समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं संचालन नियमों" के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां :– संविदा के आधार पर नियुक्त सफाईकर्ता को 3930–/रूपए की समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए उपलब्धियाँ में 100/–रूपए की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :– अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रकिया :– संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर /पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा इन नियमों और 28–01–2004 द्वारा अधिसूचित समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं सचालन नियमों के अधीन अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :– जैसी कि भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(vi) करार :– अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तेः– (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 3930/–रूपए की दर से नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएँ जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि प्रदान नही किया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवापूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक/अच्छा नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञये नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

]

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण, किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम दर पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(viii) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने काअधिकार :— इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में सफाईकर्ता के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

आदेश द्वारा,
रवि ढींगरा,
मुख्य सचिव।

————————

उपाबन्ध "क"

सफाईकर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रद्रेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवांए चयन बोर्ड , हमीरपुर के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) आज तारीख.... .... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सफाईकर्ता के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सफाईकर्ता के रूप में ....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.......................... दिन को स्वयमेंव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3930/– रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक/अच्छा नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नही होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। प्रसव के पश्चात, महिला अभ्यर्थी की ऐसी नियुक्ति पूर्व, उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर द्धारा अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

8. संविदात्मक सफाईकर्ता का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का वेतनमान के न्यूनतम पर हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में
1...
....
(नाम व पूरा पता)

2..
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में
1...
....
(नाम व पूरा पता)

2..
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP.B)B(2)- 6/99 dated 30-08 2007 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India]

PERSONNEL DEPARTMENT (AP.II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 30th August 2007

No. Per(AP.B) B(2)-6/99:— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department Notification of even number dated 14-02-2000, namely: -

1. *Short title and Commencement:-* (1)These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A":-* (1) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Sweeper, Class-IV(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000, --

(i) For the existing provision against column No. 10, the following shall be substituted, namely: - "100 % by direct recruitment or on contract basis failing which on secondment basis by transfer." ; and

(ii) After the existing provision of Col No. 15, the following shall be added, namely:- "15 A Selection for appointment to the post by contract appointment

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the **Sweeper** in the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF THE HPPSC :
The Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the detail of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules and in the "Rules of Business and Procedure"of Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notified on 28-01-2004, as amended from time to time.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :- The **Sweeper** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount **@ 3930/-** per month. An amount of **Rs. 100/-** as per annum increase in emoluments for the second and third years, respectively, will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:- The Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:- Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board prescribed under these Rules and in the "Rules of Business and Procedure" of Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board notified on 28-01-2004, as amended from time to time.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:- As may be constituted by the recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMENT:- After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:- (a)The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount **@ 3930/-** per month. The Contract Appointee will be entitled for annual increment in contractual amount **@ 100/-** per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory/good.

(c) Contract appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII)RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:- The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as **Sweeper** in Department at any stage.”

By order,
RAVI DHINGRA,
Chief Secretary.

Annexure - B

Form of contract agreement to be executed between the Sweeper and the Government of Himachal Pradesh through the Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. between Sh/Smt. ………………S/o/D/o Shri….………………R/o………………………………………………………… ……………………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY),

AND the Governor, Himachal Pradesh through the Chairman, Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Sweeper** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Sweeper** for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3930/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the work and conduct of the contract appointee is not found good/satisfctory.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual **Sweeper** will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind except maternity leave as per rules will be admissible to the contractual **Sweeper**, Class-IV (Non-Gazetted). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Sweeper** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Chief Medical Officer, Hamirpur. In case of female candidate(s), the pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit

   till her confinement is over. After the confinement, the women candidate will require to submit a fitness certificate issued by Chief Medical Officer, Hamirpur before her joining as such.

8. Contract **Sweeper** shall be entitled to TA/DA if ordered to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Provident Fund, General Provident Fund and Employee Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
(Name and Full Address)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित